

भारतीय नागरिकता के लिये श्रीलंकाई तमलि शरणार्थियों का संघर्ष

प्रलिम्स के लिये:

[श्रीलंकाई तमलि शरणार्थी, लबिरेशन टाइगरस ऑफ तमलि ईलम, अनुच्छेद 21, रोहगिया शरणार्थी, भारतीय नागरिकता का अधिग्रहण, शरणार्थियों के लिये संयुक्त राष्ट्र उच्चयोग](#)

मेन्स के लिये:

राज्यवहिनता और मानव अधिकारों पर इसके प्रभाव, भारत में नागरिकता, भारत में शरणार्थियों के सामने आने वाली चुनौतियाँ, श्रीलंका में जातीय हिसा और भारत पर इसका प्रभाव ।

[स्रोत: द हट्टि](#)

चर्चा में क्यों?

मद्रास उच्च न्यायालय की मदुरै पीठ ने केंद्रीय गृह मंत्रालय को एक [श्रीलंकाई तमलि शरणार्थी](#) के भारतीय नागरिकता आवेदन पर वचिार करने का नरिदेश दिया है, जो वर्ष 1984 से भारत में रह रहा है ।

- यह नरिदेश भारतीय कानून के तहत श्रीलंकाई तमलि शरणार्थियों के अधिकारों पर जोर देता है ।

नोट: एक श्रीलंकाई तमलि शरणार्थी, जसिका जन्म वर्ष 1975 में श्रीलंका में हुआ था, जातीय संघर्ष के कारण वर्ष 1984 में भारत आ गया । उस व्यक्ती ने [नागरिकता अधिनियम, 1955](#) की धारा 5(1)(a) के तहत वर्ष 2022 में भारतीय नागरिकता के लिये आवेदन कया था, लेकनि कोई कार्यवाही नहीं की गई ।

- भारत में 40 वर्षों से अधिक समय तक नवास करने के बावजूद, वह व्यक्ती कानूनी मान्यता की उम्मीद में नागरिकता से वंचति रह जाता है ।
- इस मान्यता से अन्य दीर्घकालिक शरणार्थियों, वशिषकर श्रीलंका में जातीय संघर्ष के दौरान पलायन करने वाले शरणार्थियों को नागरिकता मलिने में तेज़ी आ सकती है ।

श्रीलंकाई तमलि शरणार्थियों की स्थिति क्या है?


- ऐतहिसकि पृष्ठभूमि: भारतीय मूल के तमलियों को औपनविशकि काल के दौरान अंगरेज़ों द्वारा बागानों में कार्य करने के लिये [गरिमटिया मज़दूरों](#) के रूप में श्रीलंका लाया गया था ।
- सामाजकि अलगाव: इन तमलियों को श्रीलंका के राजनीतिक और नागरिक जीवन से बड़े पैमाने पर बाहर रखा गया था, तथा उन्हें सहिली (श्रीलंका के लोग) और मूल तमलि समुदायों दोनों से हाशयि पर रखा गया था ।
- वर्ष 1948 के बाद के संघर्ष: श्रीलंका की स्वतंत्रता (1948) के बाद, बढ़ते सहिली राष्ट्रवाद ने भारतीय मूल के तमलियों को और अधिक वंचति कर दिया, उन्हें नागरिकता के अधिकारों से वंचति कर दिया गया और राज्यवहिन कर दिया गया (कसिी व्यक्ती को कसिी भी देश द्वारा नागरिक के रूप में मान्यता नहीं दी जाती) ।
- द्वपिक्षीय समझौते: सरिीमावो-शास्त्री समझौता (1964) और सरिीमावो-इंदरिा गांधी समझौता (1974) में रेखांकति कया गया था कछिह लाख तक भारतीय मूल के तमलियों और उनके वंशजों को भारतीय नागरिकता प्रदान की जा सकती है, लेकनि [श्रीलंकाई गृहयुद्ध](#) सहति वभिन्नि कारकों के कारण यह प्रक्रया रुक गई ।
- CAA 2003: वर्ष 1982 से पहले भारत लौटने वाले भारतीय मूल के तमलियों को नागरिकता प्रदान की गई, लेकनि वर्ष 1983 के बाद आने वालों को नागरिकता (संशोधन) अधिनियम (CAA) 2003 के तहत 'अवैध प्रवासियों' के रूप में वर्गीकृत कया गया ।
 - भारतीय मूल के श्रीलंकाई तमलि शरणार्थी, जो वर्ष 1983 से वर्ष 2009 तक अलगाववादी तमलि शक्तियों ([लबिरेशन टाइगरस ऑफ](#)

Statistical Data of Refugees



108.4 M (Approx.)

Forcibly displaced people worldwide



Syria

Originates maximum **6.8 M** refugees



Türkiye (Turkey)

Hosts maximum **3.6 M** refugees




40% (Approx.)

Children below **18** years of age



India hosts approx. **2.5 Lakh** Refugees and Asylum-Seekers



*Refugees registered by the Government of India | Source- <https://www.unhcr.org/in/>

** Refugees and Asylum-Seekers registered with UNHCR India (as of 31 March 2023)

नागरिकताहीन व्यक्तियों के समक्ष कौन-सी चुनौतियाँ हैं?


- मूल अधिकारों का अभाव: नागरिकताहीन व्यक्तियों को प्रायः शिक्षा, स्वास्थ्य देखभाल और सामाजिक सेवाओं जैसे मूल अधिकारों से वंचित रखा जाता है, क्योंकि वे मान्यता प्राप्त नागरिक नहीं होते हैं।
- सीमित वधिक संरक्षण: वधिक मान्यता के बिना, नागरिकताहीन शरणार्थी शोषण के प्रति संवेदनशील होते हैं, जिसमें **बलात् शर्म, मानव तस्करी** और अन्य प्रकार के दुरव्यवहार शामिल हैं, क्योंकि उनके पास राष्ट्रीयता और वधिक मान्यता द्वारा प्रदत्त सुरक्षा का अभाव होता है।
- आर्थिक बहिष्कार: वे प्रायः **वधिक रूप से कार्य नहीं कर पाते**, बैंक खाते नहीं खोल पाते, या सार्वजनिक कल्याण कार्यक्रमों का लाभ नहीं उठा पाते, जिसके कारण **आर्थिक असुरक्षा** की स्थिति उत्पन्न होती है।
- सामाजिक हाशियाकरण: नागरिकताहीन व्यक्तियों को राज्य प्राधिकारियों और समाज दोनों से सामाजिक बहिष्कार और भेदभाव का सामना करना पड़ता है, जिसके परिणामस्वरूप अलगाव और एकीकरण की कमी होती है।
- अंतर-पीढ़ीगत प्रभाव: नागरिकताहीनता पीढ़ियों तक जारी रह सकती है, जिसके परिणामस्वरूप वंचना और अधिकारहीनता का चक्र चलता रहता है।
 - नागरिकताहीन बच्चों को संपत्ति विरासत, माता-पिता के समर्थन और वधिक सुरक्षा की कमी हो सकती है। यह अनिश्चितता चिंता और अवसाद जैसी मानसिक स्वास्थ्य समस्याओं को जन्म दे सकती है।

भारतीय नागरिकता प्राप्त करने की प्रक्रिया क्या है?

- भारत के नागरिकता कानून में 'जस सोली' और 'जस सैंग्वनिसि' दोनों सदिधांतों को शामिल किया गया है, जिससे ढाँचे में जन्मसिद्ध अधिकार और

वंशानुक्रम के बीच संतुलन स्थापित होता है।

- **'jus soli'** के अंतर्गत जन्मस्थान के आधार पर नागरिकता प्रदान की जाती है, जबकि **'jus sanguinis'** के अंतर्गत रक्त संबंध द्वारा नागरिकता दी जाती है।
- भारतीय नागरिकता जन्म, वंश, पंजीकरण और देशीकरण द्वारा प्राप्त की जा सकती है, जैसा कि **नागरिकता अधिनियम, 1955 में उल्लिखित है।**
 - **जन्म द्वारा:** भारत में **26 जनवरी, 1950** को या उसके बाद लेकिन **1 जुलाई, 1987** से पहले जन्मा प्रत्येक व्यक्ति भारतीय नागरिक है, चाहे उसके माता-पिता की राष्ट्रियता कुछ भी हो।
 - **1 जुलाई, 1987 और 2 फरवरी, 2004** के बीच भारत में जन्मा प्रत्येक व्यक्ति भारत का नागरिक है, बशर्ते कि उसके जन्म के समय उसके माता-पिता में से कोई एक देश का नागरिक हो।
 - **3 दिसंबर, 2004** को या उसके बाद भारत में जन्मा प्रत्येक व्यक्ति देश का नागरिक है, बशर्ते उसके माता-पिता दोनों भारतीय हों या जन्म के समय कम से कम एक माता या पिता भारत का नागरिक हो और दूसरा अवैध प्रवासी न हो।
 - **पंजीकरण द्वारा:** कुछ शर्तों के तहत पंजीकरण द्वारा नागरिकता प्राप्त की जा सकती है, जैसे कि **जैसे कि भारत में कम से कम 7 साल का नविस होना। (धारा 5(1)(A))।**
 - भारतीय मूल के व्यक्ति जो अवभिजाति भारत के बाहर किसी देश या स्थान में सामान्यतः नविसी हैं।
 - भारतीय नागरिकों के जीवन-साथी जो पंजीकरण के लिये आवेदन करने से पहले 7 वर्षों से भारत में रह रहे हों।
 - भारतीय नागरिकों के नाबालग बच्चे।
 - **वंशानुक्रम द्वारा :** **26 जनवरी, 1950** को या उसके बाद भारत के बाहर जन्म हुआ व्यक्ति वंशानुक्रम द्वारा नागरिक है, यदि उसके पिता जन्म से भारतीय नागरिक थे।
 - जिनका जन्म 10 दिसंबर, 1992 और 3 दिसंबर 2004 के बीच हुआ है, उनके माता-पिता में से कोई एक जन्म से भारतीय नागरिक होना चाहिये।
 - **3 दिसंबर, 2004** के बाद, **माता-पिता** को यह घोषित करना होगा कि बच्चे के पास कोई दूसरा पासपोर्ट नहीं है, तथा जन्म को एक वर्ष के भीतर भारतीय वाणिज्य दूतावास में पंजीकृत कराना होगा।
 - **प्राकृतिककरण द्वारा:** भारत में 12 वर्षों का नविस आवश्यक है, तथा नागरिकता अधिनियम की तीसरी अनुसूची में उल्लिखित सभी योग्यताएँ पूरी करनी होंगी।



नागरिकता

नागरिकता किसी व्यक्ति को राज्य के सदस्य के रूप में विधिक मान्यता प्रदान करना है, जिसके लिये प्रदत्त अधिकार एवं विशेषाधिकार और निष्ठा की आवश्यकता होती है। भारत में, नागरिकता संबंधी विधान परिभाषित करता है कि कौन इन अधिकारों का धारक है।

नागरिकता से संबंधित संवैधानिक प्रावधान

भारतीय संविधान के अनुच्छेद 5 से 11 नागरिकता संबंधी प्रावधानों से संबंधित हैं, जिनमें विशेष रूप से यह उल्लेख किया गया है कि संविधान के लागू होने (26 जनवरी, 1950) पर कौन नागरिक बने।



केवल भारत के नागरिकों को उपलब्ध अधिकार



नागरिकता अधिनियम, 1955

- **अर्जन और समाप्ति**: यह अधिनियम रेखांकित करता है:
 - भारतीय नागरिकता प्राप्त करने के आधार:
 - जन्म
 - वंश
 - पंजीकरण
 - देशीकरण
 - क्षेत्र समाविष्टि
 - वे परिस्थितियाँ जिनके तहत नागरिकता समाप्त हो सकती है:
 - स्वैच्छिक त्याग
 - बर्खास्तगी के द्वारा
 - वंचित करने द्वारा
- **6 बार संशोधित (1986 से)**: 1986, 1992, 2003, 2005, 2015 और 2019

नागरिकता संशोधन अधिनियम, 2019:

- ◆ **पात्रता**: पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश से 31 दिसंबर 2014 को या उससे पहले भारत में प्रवेश करने वाले छह समुदायों (हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी और ईसाई) को नागरिकता प्रदान की जाती है।
- ◆ **कानूनी दंड से छूट**: यह अधिनियम इन समुदायों को भारत में अवैध प्रवेश या निर्धारित अवधि से अधिक समय तक रहने के लिये विदेशी अधिनियम, 1946 और पासपोर्ट अधिनियम, 1920 के तहत अभियोजन से छूट देता है, जिससे उन्हें कानूनी परिणामों का सामना किये बिना नागरिकता प्राप्त करने का मार्ग प्रदान होता है।

नागरिकता संशोधन अधिनियम (CAA), 2019

- CAA, 2019 नागरिकता अधिनियम, 1955 में संशोधन करता है, जो अफगानिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान से आए कुछ अवैध प्रवासियों को भारत में नागरिकता का मार्ग प्रदान करता है।
- CAA, 2019 के तहत भारतीय नागरिकता के लिये पात्र व्यक्तियों में अफगानिस्तान, बांग्लादेश या पाकिस्तान में हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी या ईसाई समुदायों के व्यक्ति शामिल हैं।
 - 31 दिसंबर, 2014 को या उससे पहले भारत में प्रवेश किया हो।
 - पासपोर्ट (भारत में प्रवेश) अधिनियम, 1920 की धारा 3(2)(c) के अंतर्गत या वदेशी वषियक अधिनियम, 1946 के प्रावधानों या उसके अंतर्गत बनाए गए किसी नियम या आदेश के आवेदन से छूट प्राप्त व्यक्ति शामिल हैं।
 - ये कानून भारत में अवैध प्रवेश और निर्धारित समय से अधिक समय तक रहने पर दंड का प्रावधान करते हैं।

आगे की राह:

- वधायी कार्रवाई:** भारत सरकार को भारतीय मूल के तमिलों को नागरिकता देने के लिये सुधारात्मक वधायी कार्रवाई करनी चाहिये, जिसमें वर्ष 1983 के बाद आए लोग भी शामिल हैं। इसके लिये राज्यवहिनता को प्रबंधित करने के लिये पूर्वव्यापी उपायों की आवश्यकता हो सकती है।
 - संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी उच्चयोग (UNHCR) के अनुसार, वर्तमान में भारत में लगभग 29,500 भारतीय मूल के तमिल रह रहे हैं, और भारत का नैतिक और कानूनी दायित्व है कि वह उन्हें नागरिकता का मार्ग प्रदान करे।
- प्राकृतिकीकरण प्रक्रिया:** श्रीलंकाई तमिल शरणार्थियों के लिये नविस (प्राकृतिकीकरण) और एकीकरण के आधार पर भारतीय नागरिकता प्राप्त करने की प्रक्रिया को सरल और त्वरित बनाना।
- मानवीय दृष्टिकोण:** सरकार को भारतीय मूल के तमिलों की गरमा और अधिकारों को बहाल करने के लिये कानूनी तकनीकीताओं से परे जाकर स्यालु और मानवीय रुख अपनाना चाहिये।
 - शरणार्थी शिविरों में यौन और लिंग आधारित हिंसा को रोकने के लिये कमजोर समूहों के लिये इथियोपिया में UNHCR के "सेफ फ्रॉम द स्टार्ट" जैसे कार्यक्रमों को लागू करने की आवश्यकता है।
- सुलह:** सामाजिक सामंजस्य बढ़ाने के लिये शरणार्थियों और स्थानीय समुदायों के बीच संवाद और शांति-निर्माण प्रयासों को बढ़ावा देना।

और पढ़ें: [श्रीलंका में तमिलों का मुद्दा](#)

???????? ???? ???? ???? ???? :

प्रश्न: भारत में श्रीलंकाई तमिल शरणार्थियों के समक्ष आने वाली कानूनी चुनौतियों पर चर्चा कीजिये। उनकी राज्यवहिनता उनके बुनियादी अधिकारों और सेवाओं तक पहुँच को कैसे प्रभावित करती है?

UPSC सविलि सेवा परीक्षा, वगित वर्ष के प्रश्न

????????????? :

प्रश्न. नमिनलखिति युगमों पर वचिर कीजयि: (2016)

कभी-कभी समाचारों में उललखिति समुदाय - कसिके मामलों में

- | | |
|------------|--------------|
| 1. कुरद | - बांग्लादेश |
| 2. मधेसी | - नेपाल |
| 3. रोहगिया | - म्याँमार |

उपर्युक्त युगमों में से कौन-सा/से सही सुमेलति है/हैं?

- (a) केवल 1 और 2
(b) केवल 2
(c) केवल 2 और 3
(d) केवल 3

उत्तर: (c)

????????? :

प्रश्न. अवैध सीमा पार प्रवास भारत की सुरक्षा के लिये कैसे खतरा उत्पन्न करता है? इस तरह के प्रवासन को बढ़ावा देने वाले कारकों को उजागर करते हुए इसे रोकने के लिये रणनीतियों पर चर्चा कीजिये। (2014)

PDF Reference URL: <https://www.drishtias.com/hindi/printpdf/sri-lankan-tamil-refugees-struggle-for-indian-citizenship>

